न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के. जैन

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-3880-दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 12-03-2012 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर, जिला-छतरपुर का प्रकरण क्रमांक 69/2011-12 अपील

.....

1- अमर सिंह पुत्र जयपाल सिंह
2- केदार सिंह पुत्र गयाप्रसाद सिंह
3- विन्द्रवन सिंह पुत्र हल्के सिंह
4- जुझार सिंह पुत्र हल्के सिंह
5- शिवसिंह पुत्र भददुर सिंह
6- राजा सिंह पुत्र भददुर सिंह
निवासीगण- चितहरी तहसील गौरिहार
जिला- छतरपुर(म.प्र.)

----------आवेदकगण

विरूद्ध

1- विन्द्रावन पुत्र मइयादीन कुम्हार
निवासी-चितहरी तहसील गौरिहार
जिला-छतरपुर (म.प्र.)
2- मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला-छतरपुर (म.प्र.)

----------अनावेदगण

.....

(1) श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
(2) श्री राजेश पाठक, शासन की ओर से

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20 07/18 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर,

जिला-छतरपुर, द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-03-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हल्का पटवारी ने ग्राम चितहरी की प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 88 रकबा 35.964 है. का बंटन हेतु नायब तहसीलदार जुझारनगर के समक्ष सूची प्रस्तुत की । जिस पर नायब तहसीलदार ने म.प्रि. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय क्रमांक/एफ-96-97-सात/2ए/भोपाल दिनांक 13.05-98 एवं कलेक्टर छतरपुर के आदेश ज्ञापन क्रमांक 1579/भू-अभि./98 दिनांक 01-08-98 के पालन में नायब तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 28/अ-19(1)1997-98 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन व्यक्तियों के निर्धारित प्रपत्र फार्म "अ" में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु उदघोषणा जारी कर एक प्रति ग्राम पंचायत में ग्राम डोडी पीटकर आवंटन कार्य क्रम की सूचना प्रसारित कराई एवं उदघोषणा ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड एवं तहसील के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराई । ग्राम में 126 आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार ने आवेदन पत्र की सूची का प्रकाशन कराया एवं एकत्र व्यक्तियों के समक्ष उपलब्ध भूमि का बंटन आदेश दिनांक 02-09-98 से किया । नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 02-09-98 के विरूद्ध आवेदक क्र. 1 अमर सिंह पुत्र जयपाल सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 69/2011-12 में दिनांक 12-03-2012 को आदेश पत्रिका पर निम्नानुसार आदेश पारित किया- " आवश्यक पक्षकार सम्बन्धी तथ्य पर आदेश हेतु सुना तथा अवलोकन किया । आवेदक जिसमें बंटन के नियमों के तहत काबिजदार (अतिक्रामक) को आवश्यक पक्षकार मान्य नहीं किया गया है। अत: आवेदन इसी स्तर पर खारिज की जाती है।"

3/ आवेदकगण अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 88 रकबा 35.964 है. का बंटन नायब तहसीलदार द्वारा गलत तरीके से किया गया है । ग्राम गौरिहार में स्थित आराजी नं. 1015 रकबा 092 है. आवेदकगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है, जो कि आवेदकगणके पूर्वजों के नाम भूमिस्वामी स्वत्वों पर दर्ज रही है और आराजी नं. 1014 रकबा 0-194 है. एवं आराजी नं. 1021 रकबा 0.316 है. आवेदकगण के कब्जा एवं हक की भूमि है,जिस पर गलत तरीके से अनावेदक क्र. 1 के नाम कर दिया गया है। आवेदकगण ने प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के समक्ष परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र पेश किया था, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ध्यान न देकर आदेश दिनांक 12-03-2012 को आवेदकगण को आवश्यक पक्षकार न मानकर अपील अमान्य किया है, जबकि विगत कई वर्षो से आवेदकगण का नाम

उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जेदार एवं भूमिस्वामी के रूप में रहा है । अत: अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार की जावे ।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदकों के द्वारा स्वीकार किया गया है कि वे अतिक्रामक है। न्यायदृष्टान्त सबदल सिंह विरूद्ध बदनसिंह 1965 आर.एन. 203 में निधार्रित किया गया है कि " भूमि वितरण के मामले में किसी अतिक्रामक का पुनरीक्षण आवेदन इस आधार पर नहीं सुना जा सकता है कि उसके अवैध कब्जे पर विचार नहीं किया गया ।"

6/ अत: उपरोक्त के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेपकी आवश्यकता नहीं है। निगरानी अग्राहय की जाती है ।

20.7.18

(आर.के. जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश
ग्वालियर,

3/3